तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता अहकाम जो इ की तामील में
19/12/14	पत्रावली प्रस्तुत। तहसीलदार कोटड़ा द्वारा मौका रिपोर्ट अप्राप्त पुनः लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 20.2.15 को पेश हो।	
20/2/15	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक कार्य में व्यस्त होने से .... / अतः पत्रावली दिनांक 20/3/15 को पेश हो। आज्ञा से	
20/3/15	बकुलाय पक्षकारान उपस्थित/पीठासीन अधिकारी जनसुनवाई में होने से प्रकरण दि. 17/4/15 को पेश हो।	
17/4/15	बकुलाय पक्षकारान उपस्थित/पीठासीन अधिकारी जनसुनवाई में होने से प्रकरण दि. 22/5/15 को पेश हो।	
22/5/15	प्रार्थी व उसके वकील उपस्थित/विपक्षी उपस्थित/अनुपस्थित/प्रकरण को लोक अदालत में रेफर करने हेतु दोनो पक्ष सहमत है। अतः प्रकरण लोक अदालत में रेफर किया जाता है। पक्षकारान दिनांक 10/6/15 को लोक अदालत के समक्ष उपस्थित रहें।	
10.6.15	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट अभियान मु. जुड़ा पर पेश हुई। प्रतिवादीगण द्वारा स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया कि वादीगण का दावा स्वीकार किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है अतः प्रतिवादीगण के निवेदन पर वादी का दावा स्वीकार किया जाता है एवं मौजा तिरसाता पटवार हल्का बीकरनी तहसील कोटड़ा की जमाबंदी संवत 2065 से 2068 के खाता संख्या 35 में वर्णित खसरा नं. 111, 113, 114, 116, 117, 123, 231, 232 किता 08 कुल रकबा 6-05 बीघा भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादी को कब्जा सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है तदनुसार डिक्री प्रपत्र जारी किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार कोटड़ा को लिखा जावे। पत्रावली नियत तक बाद तामील से कुम हो। [illegible]	

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर

[आ]सीन अधिकारी श्री सत्यनारायण आचार्य (कोटड़ा)

[मुक]दमा 27/11 सन् सीगह

रामा पिता कपा गमेती नि० तिनसरा बनाम मीरावीया उर्फ राजेन्द्र पिता बुबाड़िया - वगैरह नि० - तिनसारा

दावा बाबत् 183, 187, 188

[य]ह मुकदमा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने श्री सत्यनारायण आचार्य के समक्ष प्रस्तुत हुआ ।

[वा]दी की ओर से वकील श्री वादी स्वयं प्रतिवादी स्वयं प्रतिवादी की ओर से वकील

की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा तिनसारा पटवार हल्का बीकरनी तहसील कोटड़ा की जमाबन्दी संवत 2065 से 2068 के खाता संख्या 35 में वर्णित आराजी नं० 111, 113, 114, 116, 117, 123, 231, 232 किता 08 कुल रकबा 6.05 बीघा भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादी को कब्जा सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है।

[औ]र इस वाद के खर्चे लेखे — रुपये की राशि — आज की तारीख

[व]सूली की तारीख तक उस पर — प्रतिशत की दर से ब्याज सहित

को दी जाये।

यह आज तारीख 10 मार 06 सन् 2015 को

[मे]रे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

सदस्य
लोक अदालत, कोटड़ा

(एस० एन० आचार्य)
हस्ताक्षर न्यायाधीश उप खण्ड अधिकारी एवं
पद उप खण्ड मजिस्ट्रेट
कोटड़ा (उदयपुर)

वाद के खर्चे

वादी	रुपये	पैसे	प्रतिवादी	रुपये	पैसे
[प्रार्थना] पत्र के लिये स्टाम्प [स्टा]म्प वकालात नामा [प्रद]र्शों के लिये स्टाम्प [मह]नताना वकील) पर [खर्चा] गवाह [फीस] कमिश्नर [आदे]शित की तामील [विवि]ध खर्चे			स्टाम्प प्रार्थना पत्र स्टाम्प वकालात नामा प्रदर्शों के लिये स्टाम्प महनताना वकील) पर खर्चा गवाह फीस कमिश्नर आदेशित की तामील विविध खर्चे		
योग			योग		

(एस० एन० आचार्य)
उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी एवं